पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 23.12.2020 व 03.08.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा रूणियां के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा रूणियां के खेत खसरा नंबर 120 रकबा 1.6349 पूरा, खसरा नंबर 368 रकबा 0.7122 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 384 रकबा 1.9911 हैक्टेयर पूरा वादी शिवराज के हक बंट में तथा खेत खसरा नंबर 649/421 रकबा 0.5667 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 344 रकबा 1.6916 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 6 रकबा 1.0036 हैक्टेयर पूरा वादी खेराजराम के हक बंट तथा शेष खेत खसरा नंबर 24 रकबा 1.8939 हैक्टेयर प्रतिवादी पुरखाराम के यथावत हक बंट में चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अंतरण का प्रतीत होता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में लिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अतः मौजा रूणियां के खेत खसरा नंबर 120 रकबा 1.6349 हैक्टेयर, खसरा नंबर 344 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, खसरा नंबर 368 रकबा 0.7122 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 1.9911 , खसरा नंबर 6 रकबा 1.0036 हैक्टेयर , खसरा नंबर 24 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, खसरा नंबर 649/421 रकबा 0.5667 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण संख्या 1 से 2 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रूणियां के खेत खसरा नंबर 120 रकबा 1.6349 हैक्टेयर, खसरा नंबर 344 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, खसरा नंबर 368 रकबा 0.7122 हैक्टेयर, खसरा नंबर 384 रकबा 1.9911 , खसरा नंबर 6 रकबा 1.0036 हैक्टेयर , खसरा नंबर 24 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, खसरा नंबर 649/421 रकबा 0.5667 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण संख्या 1 से 2 व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1. वादी शिवराज के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूणियां का खेत खसरा नंबर 120 रकबा 1.6349 पूरा, खसरा नंबर 368 रकबा 0.7122 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 384 रकबा 1.9911 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी खेराजराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूणियां का खेत खसरा नंबर 649/421 रकबा 0.5667 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 344 रकबा 1.6916 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 6 रकबा 1.0036 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 पुरखाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रूणिया का खेत खसरा नंबर 24 रकबा 1.8939 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नही रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 07/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

07/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner